यह निरीक्षण प्रतिवेदन **कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार के माह 09/2014 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री विजय कुमार वरिष्ठ लेखापरीक्षक तथा श्री अजय कुमार सचान सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री महेन्द्र तिवारी वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 19.07.2018 से 26.07.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री एस. के. जौहरी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 09.09.2014 से 20.09.2014 तक श्री बजरंग सिंह चंदेल लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 04/2008 से 08/2014 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 09/2014 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।
2. **(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः-** कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार द्वारा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों मे मध्यान्ह भोजन योजना का नियन्त्रण किया जाता है।

   कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र समस्त हरिद्वार जनपद है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2014-15	0	0	0	0	1923.64	1590.08	0	333.56
2015-16	0	0	0	0	1489.27	1378.03	0	111.24
2016-17	0	0	0	0	1820.36	1672.74	0	147.62
2017-18	0	0	0	0	2034.09	1812.47	0	221.62
2018-19	0	0	0	0	0638.42	0386.00	0	252.42

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य(+)	बचत(-)
2014-15 से 2018-19	मध्यान्ह भोजन योजना विवरण उपरोक्त अनुसार					

(iii) इकाई को बजट आवंटन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुए इकाई ब श्रेणी की है। **विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः**

1. राज्य परियोजना निदेशक, एम. डी. एम. उत्तराखण्ड, देहरादून
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार
3. उप शिक्षा अधिकारी

लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार को आच्छादित किया गया। यह निरीक्षण कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 12/2017 एवं 02/2016 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग-दो "ब"

प्रस्तर 01: बिना रोक़ड़ बही के रखरखाव किये रू 411.19 लाख की धनराशि का व्यय

प्रत्येक आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा प्रपत्र GAR III मे रोक़ड़ बही का रखरखाव किया जाना आवश्यक है। जिसमें समस्त वित्तीय लेन-देनों को उनके होने के तत्काल बाद रोक़ड़ बही में दर्ज किया जाना चाहिए।

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार के लेखा अभिलेखों की नमूना जांच में पाया गया कि इकाई द्वारा माह दिसम्बर 2017 के बाद से रोक़ड़ बही में कोई अंकन नहीं किया गया है, जबकि आय व्यय विवरण के अनुसार माह जनवरी 2018 से जून 2018 तक कुल रु 411.19 लाख की धनराशि व्यय की गई, जिसका सत्यापन नहीं किया जा सका और न ही योजना के अंतर्गत विद्यालयों द्वारा व्यय की गई धनराशि के व्यय वाउचर्स एवं रोकड़ बहियाँ जांच हेतु प्रस्तुत की गई।

लेखापरीक्षा में इगित किये जाने पर इकाई ने उत्तर में कहा कि रोक़ड़ बही तैयार कर लेखापरीक्षा को प्रस्तुत कर दी जाएगी। इकाई का उत्तर स्वत: ही लेखापरीक्षा आपत्ति की पुष्टि है ।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
93/2014-15	-	04

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
शून्य				

<u>भाग-IV</u>

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

…………………..Nil…………...

भाग-V

आभार

1. कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

i) लाभान्वित विद्यालयों को वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक उपलब्ध कराई गई धनराशि का विवरण

ii) योजना से संबन्धित विद्यालयों के अभिलेख

iii) माह 02/2016 में निम्न धनराशियों के देयक/बैंक हेतु निर्गत पत्र लेखापरीक्षा में जांच हेतु प्रस्तुत नहीं किये गयेः-

क्र.सं.	**दिनांक**	**धनराशि**
1.	02.02.2016	15144/-
2.	03.02.2016	42434/-
3.	25.02.2016	142744/-

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) योजना से संबन्धित विद्यालयों के अभिलेख उपलब्ध न कराना

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

नाम	**पदनाम**	**अवधि**
1. श्री जगमोहन सोनी	जि.शि.अ.(बे.)	18.01.2014 से 02.08.2015
2. श्री रामेन्द्र कुशवाह	जि.शि.अ.(बे.)	03.08.2015 से 08.11.2016
3. श्री विजय सिंह रावत	जि.शि.अ.(बे.)	09.11.2016 से 11.11.2016
4. श्री दिनेश चन्द्र डिमरी	जि.शि.अ.(बे.)	11.11.2016 से 15.03.2017
5. श्री जगमोहन सोनी	जि.शि.अ.(बे.)	15.03.2017 से 17.05.2017
6. श्री ब्रहमपाल सिंह सैनी	जि.शि.अ.(बे.)	17.05.2017 से 28.12.2017
7. श्री आकाश सारस्वत	जि.शि.अ.(बे.)	29.12.2017 से 17.01.2018
8. श्री ब्रहमपाल सिंह सैनी	जि.शि.अ.(बे.)	17.01.2018 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मध्यान्ह भोजन) हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जांय।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.